न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस **नम्बर 2021/166**)

1. गणेश नारायण चौधरी पुत्र श्री ईश्वरलाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

– **अपीलान्ट**

बनाम

1. शिवकरण पुत्र श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. आंवटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर दिनांक 6.4.2021 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 7/2021

उपस्थित–

1. श्री एस.जे. गिरी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री रामधन चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 3 की ओर से।

अपील संख्या जीसीएमएस **नम्बर 2021/167**

1. गणेश नारायण चौधरी पुत्र श्री ईश्वरलाल चौधरी, जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

– **अपीलान्ट**स

बनाम

1. मु0 बिरधी बेवा श्री रामकुंवार
2. जितेन्द्र पुत्र श्री रामकुंवार
3. सुमित्रा पुत्री श्री रामकुंवार
4. शांति पुत्री श्री रामकुंवार
   समस्त जाति जाट, निवासी ढाणी बम्बोरियान तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. आंवटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मौजमाबाद जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर दिनांक 6.4.2021 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 6/2021

उपस्थित–

1. श्री एस.जे. गिरी, वकील अपीलान्ट।
2. श्री रामधन चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 4 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, रेस्पोडेन्ट नं. 5 व 6 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –07.02.2024

1. यह दोनों अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 29.11.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। दोनों प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायायल अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 विरूद्व आंवटन आदेश दिनांक 19.05.2011 इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बबर 175 रकबा 1.10 हैक्टेयर ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राजकीय सिवाय चक भूमि थी और राजस्व भू–अभिलेखों में राजकीय भूमि के रूप में दर्ज थी। ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में खसरा नंबर 17, 19, 33, 34, 86, 89, 90, 91, 108, 109/1237, 112, 119, 131, 146, 147, 173, 214/1240, 225, 1021, 1067/1300, 1069, 1070, 1083/1303, 1084, 1087, 1088/1305, 1102, 1067/1300, 1069, 1070, 1083/1303, 1084, 1087, 1088/1305, 1102, 1309/109, 1310/113 एवं खसरा नम्बर 1385/1011 कुल किता 30 कुल रकबा 16.6250 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी और ग्राम कडवों का बास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 967 व 1216 कुल किता 2 रकबा 4.95 हैक्टेयर की खातेदारी में रामलाल पुत्र रामकरण जाट का हिस्सा 1/4 और खसरा नंबर 1390/1098 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा 1396/78 रकबा 0.07 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नंबर 1320/72, 1360/1319, व 1363/1321 कुल किता 3 रकबा 0.3850 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी और राजस्व भू अभिलेखों में इसी प्रकार इन्द्राजात दर्ज थी। रामलाल पुत्र रामकरण जाट के तीन पुत्र शिवकरण, रामकुंवार व डॉ. किशनलाल है। जिनका उपरोक्त वर्णित पैतृक खातेदारी की भूमि में हिस्सा निहित था। उपरोक्त वर्णित पैतृक खातेदारी की भूमि में हिस्सा निहित था। उपरोक्त वर्णित स्थिति के बावजूद भी दिनांक 19.05.2011 को उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 175 कुल रकबा 1.10. हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि का आंवटन श्री रामलाल पुत्र रामकरण जाट के पुत्र शिवकरण पुत्र रामलाल को तथा 0.25 हैक्टेयर भूमि का आंवटन रामलाल पुत्र रामकरण जाट के अन्य पुत्र रामकुंवार के नाम कर दिया गया जो पूर्ण अवैध व अनियमित है। उपरोक्त वर्णित आंवटन के आधार पर शिवकरण पुत्र रामलाल जाट के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया और अप्रार्थी संख्या ने उक्त भूमि पर कभी काश्त नही की परन्तु उसके पश्चात भी गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 407 दिनांक 26.06.2015 एवं नामान्तरकरण संख्या 408 दिनांक 26.06.2015 को तस्दीक कर दिया गया। उक्त दोनों आदेशों से व्यथित होकर श्री गणेश नारायण चौधरी पुत्र श्री ईश्वरलाल चौधरी ने दो अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर) के यहां अपील की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर)जयपुर ने निर्णय दिनांक 06.04.2021 द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) आधारहीन होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर) जयपुर के निर्णय दिनांक 06.04.2021 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट गणेश नारायण चौधरी पुत्र ईश्वरलाल चौधरी द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर) के निर्णय दिनांक 06.04.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, जयपुर तृतीय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृ ा प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन) नियम 1970 विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कडवों का बास स्थित भूमि खसरा नम्बर 175 रकबा 1.10 हैक्टर आबादी से लगती हुई सिवायचक आराजीयात है जिसमें से 0.25 हैक्टर शिवकरण पुत्र श्री रामलाल को दिनांक 19.05.2011 को आंवटित कर दी गई, उक्त आंवटनशुदा भूमि के खसरा

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

नम्बर 1387/175 रकबा 0.25 हैक्टर अंकित किये गए 0.25 हैक्टयर भूमि उक्त आंवटी के सगे भाई रामकुंवार पुत्र रामलाल को भी इसी खसरा नम्बर में से आंवटित की गई जिसके खसरा नम्बर 1381/175 अंकित किये गए इस प्रकार आंवटियों के पिता श्री रामलाल पुत्र श्री रामकरण के पास बरवक्त आंवटन निम्न आराजीयात अवस्थित थी :–

ग्राम कडवों का बास :–

कुल किता 30 कुल रकबा 16.6250 हैक्टर तन्हा
खसरा नम्बर 1390/1098 रकबा 0.10 हैक्टर गै.मु. पाल
खसरा नम्बर 114 रकबा 0.21 हैक्टर नहरी
खसर नम्बर 1396/78 रकबा 0.7 हैक्टर गै.मु. बाडा

खसरा नम्बर 1320/72 खसरा नम्बर 1360/1319 खसरा नम्बर 1363/1321	कुल रकबा 0.3850 हैक्टर

ग्राम मोखमपुरा :–

खसरा नम्बर 745 रकबा 0.48 हैक्टर

तत्पश्चात निवेदन किया कि रामलाल पुत्र श्री रामकरण के वारिसान में श्रीमती दाखा पत्नि श्री रामलाल, एवं श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री श्री रामलाल हुए जिससे बरवक्त आंवटन रामलाल एवं श्रीमती दाखा का संयुक्त हिस्सा तथा तीनों पुत्रों में प्रत्येक का एक–एक हिस्सा तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में हुए संशोधन के अनुसार पुत्री श्रीमती प्रेमदेवी का एक हिस्सा था अर्थात बरवक्त आंवटन आंवटी में अपने पिता श्री रामलाल की पुश्तैनी आराजीयात का 1/5 हिस्सा निहित था। खाता संख्या 199 (जमाबंदी सम्वत 2065 लगायत 2068 के अनुसार) के कुल खसरा किता 30 कुल रकबा 16.6250 हैक्टर में चाही, नहरी एवं बारानी तथा तालाबी भूमियों का वर्णन निम्न प्रकार है :–

4.47 हैक्टर बारानी
2.14 हैक्टर चाही
3.2250 हैक्टर नहरी
5.48 हैक्टर बारानी दोयम
1.31 हैक्टर तालाबी

उपरोक्त आराजीयात में से चाही, नहरी एवं तालाबी भूमियों की गणना आवंटन नियम 12 के अनुसार एक बीघा भूमि की गणना दो बीघा भूमि के रूप में की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराज़ीयात के रकबे की गणना आवंटन नियम 12 के अनुसार करने से निम्न वर्णित रकबा श्री रामलाल की खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी के अनुसार सिद्ध होता है। वर्णन निम्न प्रकार है:–

बारानी प्रथम 4.47 हैक्टर = 17–16–0 बीघा
चाही प्रथम 2.14 हैक्टर गुणा 2 = 4.28 = 17–4–0 बीघा
नहरी दोयम 3.2250 हैक्टर गुणा 2 = 6.44 = 25–15–0 बीघा
बारानी दोयम 5.48 हैक्टर = 21–18–0 बीघा
तालाबी 1.31 हैक्टर गुणा 2 = 2.62 हैक्टर = 10–9–0 बीघा
बारानी 0.48 हैक्टर = 1–17–10 बीघा
नहरी 0.21 हैक्टर गुणा 2 = 0.42 हैक्टर = 1–12–0 बीघा
गै.मु.पाल 0.10 हैक्टर = 0–8–0 बीघा
गै.मु.बाडा 0.07 हैक्टर = 0–6–0 बीघा
बारानी कुल किता 3 रकबा 0.3850 = 1–10–0 बीघा

इस प्रकार नियम 12 के अनुसार गणना करने पर कुल भूमि 98–0–10 बीघा होती है जिससे श्री रामलाल के हिस्से की आराजीयात का नोशनल हिस्सा 3 पुत्र एक पुत्री तथा पति–पत्नि अनुसार 1/5 आवंटी में निहित होता है जो 19–11–18 बीघा प्रत्येक 1/5 हिस्से में बरवक्त आवंटन निहित था।

जयपुर

मौजमाबाद तहसील में जरीब के अनुसार एक हैक्टर में 4 बीघा भूमि निहित करती है अर्थात 25 ऐयर का एक बीघा भूमि बनती है। इस प्रकार नियम 12 में अंकित पूर्व से पुश्तैनी/नोशनल हिस्सा/क्रयशुदा/पूर्व में आवंटनशुदा समस्त भूमियां मिलाकर 10 एकड से कम होने से इतनी ही भूमि आवंटित/नियमित की जा सकती है जिससे आवंटित/नियमित की जाने वाली भूमि सहित कुल 10 एकड भूमि बनती हो, क्योंकि 10 एकड से अधिक भूमि बनने पर आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती।

उपरोक्त नाप के अनुसार मौजमाबाद तहसील में 10 एकड भूमि =15 बीघा भूमि होती है जबकि श्री रामलाल के प्रत्येक वारिस में पूर्व से ही 19–11–18 बीघा भूमि आवंटन से पूर्व ही नोशनल हिस्से के अनुसार निहित हो चुकी थी जो 15 बीघा अर्थात 10 एकड से अधिक थी जिससे कोई भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया कि उक्त आराजीयात आबादी भूमि से लगती हुई है जो आवंटन नहीं की जा सकती थी। लेकिन किशनलाल पुत्र श्री रामलाल तत्समय कृषि अधिकारी होने से उसके द्वारा अपने भाईयों के नाम अवैधानिक रूप से आवंटित करवा ली गई । अन्त में आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया । विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के कथनों से इन्कार कर प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कथन किया एवं दिनांक 28.2.2017 को संशोधित जवाब भी प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली दूदू में अतिरिक्त जिला कलक्टर का पद सृजित हो जाने के कारण दिनांक 1.3.2021 को उक्त पत्रावली विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, तृतीय जयपुर से स्थानान्तरित होकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, दूदू के समक्ष प्रस्तुत हुई । जिस पर अप्रार्थीगण उपस्थित हुए एवं आगामी पेशी दिनांक 10.3.2021 को प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ एवं अभिभाषक नियुक्त करने हेतु समय चाहा जिस पर दिनांक 17.3.2021 की पेशी दी गई एवं दिनांक 17.3.2021 को प्रार्थी उपस्थित हुआ उससे पूर्व ही अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर पत्रावली वास्ते आदेश नियत कर दी गई एवं दिनांक 5.4.2021 को कंडोलेंस होने के कारण दिनांक 6.4.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश अन्तर्गत अपील निरस्त फरमा दिया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, दूदू द्वारा पारित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2011 को जारी किया गया था तत्समय आवंटन कमेटी के अध्यक्ष जो क्षेत्राधिकार श्रीमान उपखण्ड अधिकारी में निहित होता है श्री बीरबल सिंह जी शेखावत थे जिनके द्वारा आवंटन किया गया था एवं उक्त अधिकारी महोदय ही विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, दूदू के पद पर पदस्थापित रहने के बावजूद स्वयं द्वारा पारित आवंटन आदेश के विरूद्ध सुनवाई कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमा दिया, क्योंकि स्वयं आवंटन अधिकारी उस आवंटन को अपीलीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में निरस्त नहीं कर सकता था, ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण उन्हें स्वयं सुमोटो अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर देना चाहिए था क्योंकि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी रहकर निर्णय पारित करने के विरूद्ध वही अधिकारी अपीलीय न्यायालय में पदस्थापित होने पर स्वयं द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सुनवाई नहीं कर सकते। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। बरवक्त आवंटन प्रस्तुत रिपोर्ट में श्री रामलाल के प्रत्येक वारिस के हिस्से में नोशनल शेयर के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा 2.61 हैक्टर भूमि आना बताया गया तत्पश्चात विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जब वही पटवारी जी भू–अभिलेख निरीक्षक पद पर पदस्थापित हो गए तो उन्हीं के द्वारा 3.478 हैक्टर भूमि रामलाल के प्रत्येक वारिस के नोशनल शेयर में आना अंकित कर दिया और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विद्वान पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा स्वयं गणना किये बिना मात्र अधिनस्थ राजस्व ऐजेन्सी द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से प्रस्तुत रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए निर्णय में भी आवंटी के नोशनल शेयर में 3.478 हैक्टर अर्थात 13–15–0 बीघा भूमि होना मानते हुए अर्थात 15 बीघा से

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कम होने के कारण आवंटन आदेश यथावत रखने का आदेश पारित कर दिया जबकि दोनों रिपोर्टों में विरोधाभाष उत्पन्न था एवं गणना भी गलत की गई थी जिससे उनके द्वारा पारित निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर काबिल निरस्त योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आवंटन नियम 12 के ठीक विपरीत पारित किया गया है क्योंकि उक्त नियम के अनुसार बारानी भूमि की गणना अंकित क्षेत्रफल के अनुसार की जाती है लेकिन चाही, नहरी, तालाबी भूमि की गणना बारानी से दोगुना क्षेत्रफल मानकर की जाती है जिसके अनुसार रामलाल के प्रत्येक हिस्सेदार जिसमें आवंटी भी शामिल है के हिस्से में 19–11–18 बीघा बरवक्त आवंटन निहित थी जिससे आवंटी श्री शिवकरण को 15 बीघा से अधिक भूमि पूर्व से ही निहित होने के कारण आवंटन नहीं किया जा सकता था लेकिन नियम 12 के अनुसार गणना नहीं करने के कारण आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया जो काबिल निरस्त योग्य है। आवंटनशुदा आराजीयात आबादी भूमि के लगते हुए अवस्थित होने के कारण जिसमें गांव वालों के रास्ते भी अवस्थित है कतई आवंटन योग्य नहीं थी बल्कि मौके पर कदीम से सार्वजनिक उपयोग उपभोग में आ रही है, फिर भी आवंटी श्री शिवकरण को अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से आवंटन आदेश पारित कर दिया गया जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय काबिल निरस्त योग्य है । यह कि स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक की कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी जी के साथ–साथ विधायक, सरपंच, तहसीलदार एवं विकास अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जाकर आवंटन आदेश जारी किया जाना अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा कथन किये गए हैं जबकि आवंटन नियम 1970 के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य/पंच की उपस्थिति बाबत् आज्ञापक प्रावधान है जिसके बिना कोई आवंटन आदेश जारी नहीं किया जा सकता एवं स्वयं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की स्वयं स्वीकृति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य/पंच बरवक्त आवंटन उपस्थित नहीं था जिससे सम्पूर्ण आवंटन आदेश कतई अवैध होकर काबिल निरस्त योग्य था । इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर तथा स्वयं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा ही उपखण्ड अधिकारी दूदू के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान आवंटन किया गया था फिर भी अवैधानिक रूप से समस्त कानूनों को दरकिनार कर सेवा नियमों की अवहेलना कारित करते हुए आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात पर पीढीयों से प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं आवंटी कभी भी उक्त भूमि पर काबिज नहीं रहे एवं आवंटन को 10 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी काबिज नहीं होने के बावजूद विद्वान राजस्व ऐजेन्सी ने उन्हें अवांछित लाभ प्रदान करने की गरज से गैर खातेदार से खातेदार दर्ज कर दिया जबकि आज दिनांक काबिज नहीं होने से आवंटन आदेश शर्तों की पालना के अभाव में स्वतः ही निरस्त हो चुका है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। यह कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.4.2021 के विरूद्ध अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष अन्य कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय, दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.4.2021 एवं आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2011 निरस्त फरमाने का आदेश प्रदान कर अनुग्रहित करें । प्रार्थीगण उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है जिसमें कामयाबी की पूर्ण आशा है। यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.4.2021 की नकल हेतु अभिभाषक महोदय द्वारा दिनांक 6.4.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 6.4.2021 को नकल प्राप्त हुई एवं जयपुर आकर अभिभाषक महोदय से सम्पर्क किया गया जिन्होंने अन्य दस्तावेजात की नकल लाने हेतु कहा। चूंकि बरवक्त जन अनुशासन पखवाडा/लोकडाउन जारी हो जाने के कारण नकलें प्राप्त नहीं हुई तत्पश्चात न्यायालय कार्य सुचारू होने पर प्रार्थी दिनांक 6.7.2021 को जयपुर जाकर

माननीय आयुक्त
जयपुर

अभिभाषक महोदय से मिला तत्पश्चात् अपील तैयार करवाई गयी और आज जन अनुशासन पखवाडा/लोकडाउन का समय समायोजित करने पर अपील जानकारी से अन्दर मियाद सेवा में प्रस्तुत की जा रही है।

6. वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 967 व 1216 का जो विवरण दिया है वह रामलाल पुत्र रामकरण जाट की खातेदारी का नहीं है बल्कि रामलाल पुत्र रामचन्द्र जो दीगर व्यक्ति है उसका 1/4 हिस्सा दर्ज है। रामलाल पुत्र रामकरण के खाते में भूमि खसरा नं. 17, 19, 33, 34, 86, 89, 90, 91, 108, 109/1237, 112 119, 131, 146, 147, 173, 214/1240, 1083/1303, 1084, 1087, 225, 1021, 1067/1300, 1069, 1070, 1088/1305, 1102, 1309/109, 1310/113, व खसरा नम्बर 1385/1011 कुल किता 30 रकबा 16.6250 हैक्टेयर भूमि रामलाल पुत्र रामलाल जाट 114 रकबा 0.21, हैक्टेयर, खसरा नं. 1396278 रकबा 0.07 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नं. 1320/72, 1360/1319, व 1363/ 1321 1390 / 1098 रकबा 0. 10 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.3850 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है। रामलाल पुत्र रामकरण के खाते में कुल रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा ही बनता है हैक्टेयर में 17.38 हैक्टेयर बनता है चूंकि रामलाल के तीन पुत्र एक पुत्री और स्वंय रामलाल मौजूद है। शिवकरण, रामकुवार किशनलाल, प्रेम देवी जिनके नोशनल शयेर के अनुसार प्रत्येक को 1/5 हिस्सा बनता है 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि आती है रामकुंवार पुत्र रामलाल को खसरा नं. 175 में से 25 एयर भूमि का आवंटन 19.05.2011 को जो किया गया है वह सही किया गया है क्योंकि आवंटित भूमि सहित रामकुवार पुत्र रामलाल के खाते में 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बनती है जो 15 बीघा से कम होती है इसलिए आवंटन करने में कोई गलती नहीं की है । प्रार्थी ने रामलाल के पुत्रों में केवल तीन पुत्रों का वर्णन किया है जबकि पुत्री का विवरण नहीं दिया है और न ही स्वंय रामलाल का विवरण दिया है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र दुर्भावना से प्रस्तुत किया गया है। रामकुंवार पुत्र रामलाल का देहान्त 05.01.2013 को हो गया और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 उसके वारिस है जिसकी विरासत का नामान्तकरण 31.01.2013 को खुल चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का बराबर कब्जा रहा है उससे पूर्व पुत्र राम रामकुंवार का सम्वत 2061, दिनांक 2003–04, 2062, दिनांक 2005–06 2063, दिनांक 2007–08, 2065, दिनांक 2008–09, 2066, दिनांक 2009–10, 2067, दिनांक 2011–12, 2069 दिनांक 2013–14, 2070, दिनांक 2013, 2071 दिनांक 2015, 2072, दिनांक 2015–16, 175 का पूराना नं. 2771 था तब से 2003 से 2009 तक पुत्र राम्बाल लगातार सम्बत ही रामकुंवार ने एक बीघा, ज्वार, 2010 तथा 2014 2015 एक कीमा उयार, बीमा ज्वार, एक बार एक एक बीघा मूंग, एक बीघा चना, एक बीघा सरसों, "की" फसल व खेती की थी जिसकी खसरा परिवर्तनशील व गिरदावरी मिलान क्षेत्र संलग्न है अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 का कब्जा होने के कारण ही गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज जरिये नामान्तकरण संख्या 408 दिनांक 26.06.2015 को सही रूप से तस्दीक किया है। इस कारण से भी आवेदन अंतर्गत आवंटन नियम 14 (4) चलने योग्य नहीं है तथा जो आपत्तियाँ दर्ज की वह भी गलत है तथा खसरा नम्बर 131 रकबा 0.17 हैक्टेयर है जो रामलाल पुत्र रामकरण की खातेदारी में है उसके लगवा ही खसरा नं. 175 है जिस पर 2003 के पूर्व से ही रामकुंवार पुत्र रामलाल का ही कब्जा चला आ रहा है । (क) आपत्ति मद (क) गलत होने से स्वीकार नहीं है। आवंटन आदेश दिनांक 19.05.2011 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर आवंटन किया है। आवंटन हेतु उद्घोषणा नियमानुसार आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 27.04. 2011 को ही जारी की थी और यह आवंटन बहुउद्देशीय शिविर ग्राम पंचायत मोखमपुरा में किया गया है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट शिविर राजस्व अभियान का लगाने के कारण आवंटन की कार्यवाही भी नियमानुसार की गई है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है। (ग) उक्त आपत्ति बिल्कुल गलत दर्ज की है। प्रार्थना पत्र में आराजी खसरा नम्बर 967 व 1216 का जो विवरण दिया है वह

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

रामलाल पुत्र रामकरण जाट की खातेदारी का नहीं है बल्कि रामलाल पुत्र रामचन्द्र जो दीगर व्यक्ति है उसका 1/4 हिस्सा दर्ज है। रामलाल पुत्र रामकरण के खाते में तो 17, 19, 33, 34, 86, 89, 90, 91, 108, 109/1237, 112 119, 131, 146, 147, 173, 214/1240, 225, 1021, 1067/1300, 1069, 1070, 1083/1303, 1084, 1087, 1088/1305, 1102, 1309/109, 1310/113, 1390 / 1098 रकबा 0.10 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1385 / 1011 कुल किता 30 रकबा 16.6250 हैक्टेयर भूमि रामलाल पुत्र रामलाल जाट 114 रकबा 0.21, हैक्टेयर, खसरा नं. 1396278 रकबा 0.07 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नं. 1320/72, 1360/1319, व 1363 / 1321 कुल किता 3 रकबा 0.3850 हैक्टेयर रामलाल पुत्र रामकरण के नाम दर्ज है। रामलाल पुत्र रामकरण के खाते में कुल रकबा 69 बीघा 10 बिस्वा ही बनता है हैक्टेयर में 17.38 हैक्टेयर बनता हैचूंकि रामलाल के तीन पुत्र एक पुत्री और स्वंय रामलाल मौजूद है । शिवकरण, रामकुवार किशनलाल, प्रेम देवी जिनके नोशनल शयेर के अनुसार प्रत्येक को 1/5 हिस्सा बनता है 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि आती है रामकुंवार पुत्र रामलाल को खसरा नं. 175 में से 25 एयर भूमि का आवंटन 19.05.2011 को जो किया गया है वह सही किया गया है क्योंकि आवंटित भूमि सहित रामकुंवार पुत्र रामलाल के खाते में 14 बीघा 18 बिस्वा भूमि बनती है जो 15 बीघा से कम होती है इसलिए आवंटन करने में कोई गलती नहीं की है। आपत्ति की मद (घ) जिस प्रकार से वर्णित की है गलत है एवं स्वीकार नहीं है। रामकुंवार का भाई जो कृषि अधिकारी है आवंटन के दिन ग्राम पाटन में तहसील किशनगढ जिला अजमेर में कार्यरत था और उसने कोई प्रभाव नहीं डाला है और न ही आवंटन के दिन वह शिविर में मौजूद था । और आवंटन सलाहकार समिति ने दिनांक 19.05.2011 ने शिविर में कई आवंटन किये है जो सभी नियमानुसार किये है। आवंटन के पश्चात आवंटी ने कृषि भूमि पर काश्त की है बल्कि सही बात यह है कि आवंटी भूमि रामकुंवार के कब्जे में पूर्व 2003 से ही चली आ रही थी जबकि खसरा नम्बर 175 का पुराना नम्बर 2771 था और उसके कब्जे काश्त के अनुसार ही वह खातेदारी की भूमि के लगवा होने के कारण ही सही रूप से नियमानुसार आवंटन किया है। आपत्ति की मद संख्या (छ) जिस प्रकार से वर्णित की है सर्वथा गलत है। प्रार्थी गणेश पुत्र ईश्वरलाल का कभी कोई कब्जा आवंटी की भूमि पर नहीं रहा है और आवंटी ने रंजिशवश यह आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि 19.05.2011 को खसरा नम्बर जिसका कि रकबा 1.10 हैक्टेयर था उसमें से कई व्यक्तियों को आवंटन किया है जिनको प्रार्थी ने कोई चुनौती नहीं दी है केवल रंजिशवा अप्रार्थीगण के आवंटन को चुनौती दी है जो किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है। नामान्तकरण संख्या 153 गैर खातेदारी का 14.07.2011 रामकुंवार के नाम सही रूप से खुला है और 175 में जो नम्बर 1452/175 अंकित किया है वह कब्जे के अनुसार सही रूप से दुरूस्त किया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं है और राजस्व अभिलेखों के इन्द्राज से आवंटी के अधिकारों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि राजस्व अभिलेखों में अंकन करने का कार्य राजस्व कर्मचारियों का होता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू (जयपुर) जयपुर ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है

कि रामलाल पुत्र श्री रामकरण के वारिसान में श्रीमती दाखा पत्नि श्री रामलाल, एवं श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री श्री रामलाल हुए जिससे बरवक्त आंवटन रामलाल एवं श्रीमती दाखा का संयुक्त हिस्सा तथा तीनों पुत्रों में प्रत्येक का एक–एक हिस्सा तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में हुए संशोधन के अनुसार पुत्री श्रीमती प्रेमदेवी का एक हिस्सा था अर्थात बरवक्त आंवटन आंवटी में अपने पिता श्री रामलाल की पुश्तैनी आराजीयात का 1/5 हिस्सा निहित था। खाता संख्या 199 (जमाबंदी सम्वत 2065 लगायत 2068 के अनुसार) के कुल खसरा किता 30 कुल रकबा 16.6250 हैक्टर में चाही, नहरी एवं बारानी तथा तालाबी भूमियों का वर्णन निम्न प्रकार है :–

4.47 हैक्टर बारानी
2.14 हैक्टर चाही
3.2250 हैक्टर नहरी
5.48 हैक्टर बारानी दोयम
1.31 हैक्टर तालाबी

उपरोक्त आराजीयात में से चाही, नहरी एवं तालाबी भूमियों की गणना आवंटन नियम 12 के अनुसार एक बीघा भूमि की गणना दो बीघा भूमि के रूप में की जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजीयात के रकबे की गणना आवंटन नियम 12 के अनुसार करने से निम्न वर्णित रकबा श्री रामलाल की खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी के अनुसार सिद्ध होता है। वर्णन निम्न प्रकार है:–

बारानी प्रथम 4.47 हैक्टर = 17–16–0 बीघा
चाही प्रथम 2.14 हैक्टर गुणा 2 = 4.28 = 17–4–0 बीघा
नहरी दोयम 3.2250 हैक्टर गुणा 2 = 6.44 = 25–15–0 बीघा
बारानी दोयम 5.48 हैक्टर = 21–18–0 बीघा
तालाबी 1.31 हैक्टर गुणा 2 = 2.62 हैक्टर = 10–9–0 बीघा
बारानी 0.48 हैक्टर = 1–17–10 बीघा
नहरी 0.21 हैक्टर गुणा 2 = 0.42 हैक्टर = 1–12–0 बीघा
गै.मु.पाल 0.10 हैक्टर = 0–8–0 बीघा
गै.मु.बाडा 0.07 हैक्टर = 0–6–0 बीघा
बारानी कुल किता 3 रकबा 0.3850 = 1–10–0 बीघा

इस प्रकार नियम 12 के अनुसार गणना करने पर कुल भूमि 98–0–10 बीघा होती है जिससे श्री रामलाल के हिस्से की आराजीयात का नोशनल हिस्सा 3 पुत्र एक पुत्री तथा पति–पत्नि अनुसार 1/5 आवंटी में निहित होता है जो 19–11–18 बीघा प्रत्येक 1/5 हिस्से में बरवक्त आवंटन निहित था।

मौजमाबाद तहसील में जरीब के अनुसार एक हैक्टर में 4 बीघा भूमि निहित करती है अर्थात 25 ऐयर का एक बीघा भूमि बनती है। इस प्रकार नियम 12 में अंकित पूर्व से पुश्तैनी/नोशनल हिस्सा/क्रयशुदा/पूर्व में आवंटनशुदा समस्त भूमियां मिलाकर 10 एकड से कम होने से इतनी ही भूमि आवंटित/नियमित की जा सकती है जिससे आवंटित/नियमित की जाने वाली भूमि सहित कुल 10 एकड भूमि बनती हो, क्योंकि 10 एकड़ से अधिक भूमि बनने पर आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती। उपरोक्त नाप के अनुसार मौजमाबाद तहसील में 10 एकड भूमि = 15 बीघा भूमि होती है जबकि श्री रामलाल के प्रत्येक वारिस में पूर्व से ही 19–11–18 बीघा भूमि आवंटन से पूर्व ही नोशनल हिस्से के अनुसार निहित हो चुकी थी जो 15 बीघा अर्थात 10 एकड से अधिक थी जिससे कोई भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दूदू, जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2021 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर दूदू जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2021 को निरस्त किया जाता है तथा आंवटन

संभागीय आयुक्त
जयपुर

सलाहकार समिति द्वारा आंवटन आदेश दिनांक 19.05.2011 बाबत भूमि खसरा नम्बर 1387/175 रकबा 0.25 हैक्टेयर आंवटन नियमन को निरस्त किया जाता है एवं उक्त आंवटन आदेश दिनांक 19.05.2011 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर (ग्रामीण) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।

–: संशोधित आदेश :–

आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुसरण में मूल निर्णय दिनांक 07.02.2024 के पृष्ठ संख्या 09 की द्वितीय पंक्ति में खसरा नम्बर 1387/175 के स्थान पर खसरा नम्बर 1381/175 तथा पांचवी पंक्ति में जिला जयपुर (ग्रामीण) के स्थान पर जिला दूदू संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर